अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 65(अ०)/ पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, सारण, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया एवं कटिहार।

पटना, दिनांक 22/01/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018** द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों / जिला परिषद् के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख / उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के **मुखिया** / उप–मुखिया एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी के सरपंच / उप सरपंच एवं **ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)** को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, सारण (छपरा), जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया एवं कटिहार द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रूपये) व्यय हेतु आवंटित की जाती है।

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी की अुनशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	भोजपुर	पत्रांक–1681 दिनांक–18.11.2019	स्व० मन्नी कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम–छोटा कल्याणपुर, पो०– भेलाई, ग्राम पंचायत– एकौना, प्रखंड– उदवंतनगर	5,00,000.00

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

2	सारण (छपरा)	पत्रांक–2081 दिनांक–18.11.2019	स्व० दिलीप माँझी, मुखिया ग्राम– मीरा मुसेहरी, ग्राम पंचायत– तेनुआ, प्रखंड– सदर छपरा	5,00,000.00
3	जहानाबाद	पत्रांक–1436 दिनांक–20.11.2019	स्व० सत्यनारायण दास, ग्राम कचहरी पंच ग्राम+पोस्ट– कसवाँ, प्रखंड– रतनी फरीदपुर	5,00,000.00
4	मधुबनी	पत्रांक–1529 दिनांक–21.11.2019	स्व० रामावतार यादव, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम– फुलपरास, ग्राम पंचायत– फुलपरास, प्रखंड– फुलपरास,	5,00,000.00
5	खगड़िया	पत्रांक–1015 दिनांक–21.11.2019	स्व० सुप्रिया भारती, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम– आदावारी, ग्राम पंचायत– नीरपुर, पो०– केशवनगर, **प्रखंड– चौथम**	5,00,000.00
6	खगड़िया	पत्रांक–1015 दिनांक–21.11.2019	स्व० मेघु चौरसिया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम– महेशखूँट पवारी, ग्राम पंचायत– महेशखूँट, पे०– धनिक मंडल	5,00,000.00
7	खगड़िया	पत्रांक–1015 दिनांक–21.11.2019	स्व० मीना देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड नं०–03, ग्राम – छोटी पसराहा, थाना–गोगरी	5,00,000.00
8	कटिहार	पत्रांक–984 दिनांक–25.11.2019	स्व० उमदा देवी, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत– बौलिया, वार्ड न०–15, प्रखंड– मनिहारी	5,00,000.00
सकल कुल				**40,00,000.00**

चालीस लाख रुपया मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबधित जिलों के जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी **संबधित जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

ज्ञापांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 65(अनु) / पं०रा० पटना, दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी / संबधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 65(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx